सर्वोच्च न्यायालय: केवल डॉक्टरों को खराब परिणामों के लिये लापरवाह नहीं माना जा सकता

[स्रोत: हिंदुस्तान टाइम्स](#)

हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय ने इस बात पर ज़ोर दिया है कि चिकित्सा पेशेवरों को केवल असफल उपचार परिणामों के कारण चिकित्सकीय लापरवाही के लिये **उत्तरदायी नहीं ठहराया जाना चाहिये।**

- चिकित्सकीय लापरवाही, जिसे सामान्यतः **चिकित्सा कदाचार** के रूप में जाना जाता है, तब उत्पन्न होती है जब एक **स्वास्थ्य सेवा प्रदाता किसी रोगी के लिए देखभाल के मानक मानदंडों का पालन नहीं करता है,** जिसके परिणामस्वरूप हानि, चोट या यहाँ तक कि मृत्यु भी हो सकती है।
  - सर्वोच्च न्यायालय के अनुसार, किसी डॉक्टर को केवल इसलिये **चिकित्सीय लापरवाही के लिये तुरंत उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता क्योंकि मरीज़** ने सर्जरी या उपचार पर **सकारात्मक प्रतिक्रिया नहीं दी।**
    - **उत्तरदायित्व** केवल तभी स्थापित किया जा सकता है **जब साक्ष्य यह दर्शाए कि डॉक्टर** अपने कर्त्तव्यों का पालन करने में आवश्यक कौशल का प्रयोग करने में विफल रहे।
  - इन मामलों में **"रेस इप्सा लोक्विटुर" (जिसका अर्थ है " the thing speaks for itself अर्थात् वस्तु स्वयं बोलती है")** का सिद्धांत लागू नहीं होता।
- **रेस इप्सा लोकिटुर सिद्धांत:** तात्पर्य यह है कि **लापरवाही स्पष्ट है और इसके लिये किसी अतिरिक्त साक्ष्य की आवश्यकता नहीं है।**
- **हालाँकि, पीठ ने स्पष्ट किया कि नकारात्मक परिणाम स्वतः ही लापरवाही का संकेत नहीं है।**

और पढ़ें: BNS के तहत चिकित्सकीय लापरवाही

PDF Refernece URL: https://www.drishtiias.com/hindi/printpdf/sc-doctors-not-negligent-for-poor-outcomes-alone